आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23(79)लेखा/आकाशि/रा.सं.पोर्टल/2022–23/ 383 दिनांक– 20/06/2022

समस्त प्राचार्य/जिला नोड़ल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय राजस्थान

परिपत्र

विषय – राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायतों के निराकरण बाबत।

प्रायः ध्यान में आया है कि आपके स्तर पर सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है। जिसके कारण सम्पर्क पोर्टल की शिकायतें अपने उच्च स्तर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को स्वतः हस्तांतरित हो जाती है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के द्वारा निम्नानुसार छात्रवृत्तियों का संचालन ऑनलाईन किया जाता है :–

1. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना
2. देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना
3. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
4. विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) सम्बल योजना

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा अन्य विभागों (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्रम विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आदि) द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, अनुप्रति योजना और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना आदि से संबंधित शिकायतों को आपके स्तर पर सम्बन्धित विभाग को हस्तांतरित ना करके आयुक्तालय को फारवर्ड किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.06.2022 को जारी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना वर्ष 2020–21 की स्थाई वरीयता सूची के सम्बन्ध में सम्पर्क पोर्टल पर शिकायतें आपके स्तर पर लम्बित है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त शिकयतों को निर्धारित समायावधि में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अविलम्ब निस्तारित करें।

शिकायतों की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्पर्क पोर्टल को महाविद्यालय स्तर पर प्रतिदिन खोलकर प्राप्त शिकायत का अपने स्तर पर निस्ताारण की कार्यवाही करे एवं नोडल महाविद्यालय अपने जिला स्तर पर सभी महाविद्यालय को सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के अविलम्ब निस्तारण हेतु निर्देश दे। यदि आपके स्तर पर कोई लापरवाही बरती गयी और निर्धारित समयावधि मे शिकायत का निराकरण नही करके आयुक्तालय को हस्तांतरण किया गया तो आयुक्तालय द्वारा संबधित के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

(हरिसिंह मीना)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर
दिनांक– 20/06/2022

क्रमांक एफ 23(79)लेखा/आकाशि/रा.सं.पोर्टल/2022–23/384
प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड़ किये जाने हेतु।

वित्तीय सलाहकार